न्यायालय श्रीमान बोर्ड आफ रेवन्यू ग्वालियर म.प्र.

विजेन्द्र पिता नथमलजी पितलिया
निवासी चांदनीचोक रतलाम

—— प्रार्थी

विरूद्ध

1—मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रतलाम
2—अशोक जाट निवासी बंजली तहसील व जिला
रतलाम

—— प्रतिप्रार्थी

—— निगराधी धारा 50 भू—राजस्व संहिता ——

मान्यवर महोदय,

मे प्रार्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 19/स्वतः निगरानी /2012—13 में पारित आदेश दिनांक 30—6—16 से असन्तुष्ट होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत है :—

—— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ——

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता प्रतिप्रार्थी कमांक 2 अशोक जाट द्वारा शिकायत की गई थी कि वर्ष 2008 में तहसीलदार एवं पंचायतकर्मी द्वारा ग्राम पंचायत बंजली से लगी हुई सडक की भूमि सर्वे कमांक 232/1 प्रार्थी के नाम कर दी गई इस सम्बन्ध में शिकायत आने पर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील से जॉच कराई जाकर प्रकरण कमांक 386 बी 121/11—12 प्रतिवेदन दिनांक 1—3—12 को प्रतिवेदित किया कि तत्कालीन तहसीलदार रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 2 अ/1997—98 का परीक्षण किया गया जिसमें यह दर्शाया कि भूमि का पटटा प्रार्थी को जो प्रदान किया गया है वह पूरी प्रकिया के विपरीत है ओर नगर पालिका निगम सीमा से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है जिसकी व्यवस्थापन की अधिकारीता तहसीलदार को नही है यह भी दर्शाया कि प्रार्थी भूमि हीन नही है आदि आपत्तियो को दर्शाते हुए प्रकरण मे स्वतः निगरानी में लेकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सूचना पत्र जारी किया गया है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2779-पीबीआर/16 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	